

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवंबर, 2019

अधिसूचना

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 घघ के उपनियम(4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 43 की उपधारा(5) के परन्तुक के खण्ड(ड.) के स्पष्टीकरण में खण्ड(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मै. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई (पैन:एएएसीएन1797एल) को व्युत्पादों(डेरिवेटिवज) में व्यापार(ट्रेडिंग) के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अधीन सरकारी राजपत्र में इसके अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ एक 'मान्यता प्राप्त एसोसिएशन' के रूप में अधिसूचित करती है, नामतः

- (i) उक्त एक्सचेंज को व्युत्पादों(डेरिवेटिवज) में व्यापार(ट्रेडिंग) के बारे में अग्रिम संविदा(विनियमन) अधिनियम, 1952(1952 का 74)(दिनांक 24 सितंबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ.2630(अ) द्वारा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड के साथ आमेलित) के अन्तर्गत स्थापित वायदा बाजार आयोग(फारवर्ड मार्केट्स कमिशन) का अनुमोदन लेना होगा और वह इसके द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों अथवा शर्तों के अनुसार कार्य करेगा;
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के ब्यौरे(अनन्य(यूनिक) ग्राहक पहचान संख्या तथा पैन सहित) विधिवत रिकार्ड किए गए हैं तथा इसके डाटाबेस में स्टोर किए गए हैं;
- (iii) यह अपने सिस्टम पर सात वर्षों की अवधि के लिए सभी लेनदेनों (व्युत्पाद मार्केट के बारे में) की पूरी लेखा-परीक्षा जांच रखेगा;
- (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन(व्युत्पाद मार्केट के बारे में) एक बार पंजीकृत हो जाने पर मिटाया नहीं जाएगा;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन(व्युत्पाद मार्केट के बारे में) सिस्टम में एक बार पंजीकृत होने पर वास्तविक त्रुटि के मामलों में ही संशोधित किया जाता है और सिस्टम में पंजीकृत सभी लेनदेन(व्युत्पाद मार्केट के बारे में) के बारे में डाटा रखे जाते हैं जिन्हें संशोधित किया गया है और फार्म 3खग में एक मासिक विवरण महानिदेशक आयकर (आसूचना तथा आपराधिक जांच), नई दिल्ली को उस माह के अंतिम दिवस से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करनी है जिससे ऐसा विवरण संबंधित है।

2. यह अधिसूचना तब तक लागू रहेगी जब तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन वापिस नहीं किया जाता अथवा समाप्त नहीं हो जाता; अथवा यह अधिसूचना आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 घघ के उपनियम(5) में यथा प्रदान की गई केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त नहीं की गई है, जो भी पहले हो।

- Sa -
(राजाराजेश्वरी आर)
अवर सचिव भारत सरकार

(अधिसूचना सं. 100 /2019
(फा. सं.225/252/2019-आईटीए-II)

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी प्रेस, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त मंत्री/निदेशक(एफ.एम.ओ.) के पीपीएस/वित्त राज्य मंत्री (राजस्व) के ओ एस डी/राजस्व सचिव के पीपीएस/अध्यक्ष, सीबीडीटी और सीबीडीटी के सभी सदस्यों के पीपीएस।
2. आवेदक, मैसर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।
3. भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, मुम्बई।
4. डीजीआईटी(आई एंड सीआई), नई दिल्ली।
5. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/महानिदेशक आयकर को सूचनार्थ।
6. आईटीसीसी, के.प्र.कर बोर्ड(4 प्रतियां)
7. प्रधान आयकर महानिदेशक(प्रणाली), नई दिल्ली के कार्यालय को, वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर डालने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

राजाराजेश्वरी
(राजाराजेश्वरी भार्गव)
अवर सचिव भारत सरकार